

// 1 //

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )**

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 11/2021

उनवान

1. कमल पुत्र कालू पौत्र सोहन,
2. गीता पत्नी कालू पुत्रवधु सोहन,
3. प्रिया पुत्री कालू पौत्री सोहन जाति माली नि० लोहरवाडा, नसीराबाद  
— वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सोहन पुत्र चतुर्भुज,
2. बदामी पत्नी सोहन,
3. जगदीश पुत्र सोहन जाति माली नि० लोहरवाडा, नसीराबाद,
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
5. मैनेजर बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, लोहरवाडा  
— प्रतिवादीगण :- 1 से 3 व 5 अनुपस्थित  
4 जरिये तहसीलदार नसीराबाद



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा० का० अधि० 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- 21.06.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. लोहरवाडा में स्थित आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
637/732	किता 6	1.92
289/302	किता 3	0.090
99/95	2019/6064	0.020
799/896	किता 11	2.30
1056/1212	किता 2	0.12 गैर

उपरोक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता/दादा चतुर्भुज पुत्र सुखा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त आराजी पुश्तैनी होने से वादीगण भी उक्त भूमि पर हक व अधिकार निहित है। किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी उक्त आराजी को हस्तांतरण करने व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज० पैरोकर ने जवाब पेश किया। निवेदन

—2

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेर)


किया कि हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सोहन पुत्र चतुर्भुज के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। वाद के पैरा संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 को फौत बताया गया है। मृत्यु की दशा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत नामान्तकरण की कार्यवाही से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। राजहित प्रभावित नहीं होता है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज० पैराकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2069-72 में प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 चतुर्भुज पुत्र सोहन के वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। आराजी मुतनाजा वंकिंग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में भी सोहन पुत्र चतुर्भुज के नाम ही दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी है। किन्तु खाता संख्या 1056/1212 किता 2 रकबा 0.12 पर प्रतिवादी संख्या 1 गैर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पुश्तैनी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है राज. पैरोकार ने जवाब में कथन किया है कि वाद के पैरा संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 को फौत बताया गया है। मृत्यु की दशा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत नामान्तकरण की कार्यवाही से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। जिसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद में अंकित शजरे में त्रुटिवश प्रतिवादी सोहन को फौत अंकित कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जीवित होने के कारण व भूमि पुश्तैनी होने के कारण ही वादीगण द्वारा खातेदारी उद्घोषणा का वाद पेश किया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र में अंकित शजरे में त्रुटिवश फौत बताया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी के विधिक वारिस है। तथा भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम ग्राम व प.म. लोहरवाडा के हाल खाता संख्या 637/732 किता 6 रकबा 1.92, 289/302 किता 3 रकबा 0.09, 799/869 किता 11 रकबा 2.30 व खसरा नम्बर 2019/6064 रकबा 0.02 किता 31 रकबा 6.84 की भूमि पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण को 1/4 हि., प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हि., प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हि. व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हि. का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इक्वाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कमल बनाम सोहन


दावा बाबत :- 88, 188, 92ए राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 11/2021

पेश करने की दिनांक - 14.01.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम व प.म. लोहरवाडा के हाल खाता संख्या 637/732 किता 6 रकबा 1.92, 289/302 किता 3 रकबा 0.09, 799/869 किता 11 रकबा 2.30 व खसरा नम्बर 2019/6064 रकबा 0.02 किता 31 रकबा 6.84 की भूमि पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण को 1/4 हि., प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हि., प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हि. व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हि. का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 06 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह संबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद